न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट [प्रथम श्रेणी]बिसौली बदायूँ

परिवाद सं०–572/2015

ताराचन्द बनाम अमरपाल आदि

दिनाँक–10–08–2016

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी के प्रश्न पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादपत्र के अनुसार संक्षेप में कथन है कि–दि० १४.०४.२०१५ समय ६ बजे गाँव के अमरपाल, मोहरपाल, धर्मपाल, सुगरपाल पुत्रगण पूरन अपने हाथों में लाठी–डण्डा लेकर घर के अन्दर गाली–गलौज देते हुए घुस आये। गाली–गलौज को मना किया तो उसे मारा–पीटा। गवाहन के बचाये जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

परिवादी की तरफ से धारा– २०० दं० प्र० सं० के अन्तर्गत स्वयं को व धारा– २०२ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत पी० डब्लू०–1 गंगासहाय पी० डब्लू०–२ छोटेलाल के बयान लेखवद्ध किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिकथनो व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया रूप से विपक्षीगण **अमरपाल, धर्मपाल, मोरपाल व सुगरपाल** के विरूद्ध धारा–**452 ,323, 504, 506 भा० दं० सं०** के अन्तर्गत अभियोग विचारण हेतु मामला बनता प्रतीत होता है तथा उपरोक्त विपक्षी उपरोक्तानुसार तलव किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षीगण **अमरपाल, धर्मपाल, मोरपाल व सुगरपाल** को धारा–**452, 323, 504, 506 भा० दं० सं० के अन्तर्गत अभियोग विचारण हेतु दि०**–11–09–2016 हेतु वास्ते हाजिरी तलव किये जायें। आवश्यक पैरवी नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।

(खुशतर दानिश)
न्यायिक मजिस्ट्रेट [प्रथम श्रेणी]बिसौली
जनपद–बदायूँ।